इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 175]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 मार्च 2018—फाल्गुन 30, शक 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2018

क्र. एफ 2-06-2018-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी 12.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित की गई समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.1	राज्य बीमारी सहायता निधि के अधीन रुपये 2.00 लाख तक के प्रकरण जिला स्तर से स्वीकृत किया जाना.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	10 कार्य दिवस	क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें	15 कार्य दिवस.	स्वास्थ्य आयुक्त.
12.2	विकलांगता प्रमाण-पत्र दिया जाना.	सिविल सर्जन	15 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.3	दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना हेतु स्वास्थ्य कार्ड जारी करना.	(अ) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	07 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		(ब) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र छोड़कर विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी.	07 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
12.4	राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत टीकाकरण करना.	जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र के लिए सिविल सर्जन.	30 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	15 कार्य दिवस	क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें.
		शेष क्षेत्र के लिए विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी.	30 कार्य दिवस	जिला टीकाकरण अधिकारी.	15 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.
12.5	आवेदक की आयु का चिकित्सा सत्यापन.	सिविल सर्जन	30 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	15 कार्य दिवस	क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें.
12.6	मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरण स्वीकृत किया जाना.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	10 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें.
12.7	प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृह/रूजोउपचार संबंधी स्थापनाओं के पंजीयन एवं अनुज्ञापन.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	30 कार्य दिवस	क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें.	15 कार्य दिवस	संचालक अस्पताल प्रशासन.
12.8	प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृह/रूजोउपचार संबंधी स्थापनाओं के पंजीयन एवं अनुज्ञापन.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	30 कार्य दिवस	क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें.	15 कार्य दिवस	संचालक अस्पताल प्रशासन.
12.9	चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (मेडिकल फिटनेश सर्टिफिकेट) प्रदान करना.	(अ) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के लिए चिकित्सा अधिकारी.	01 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	07 कार्य दिवस	कलेक्टर
		(ब) जिला मुख्यालय को छोड़कर शेष के लिए चिकित्सा अधिकारी.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें.

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी 46.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित की गई समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46.1	फल-पौध रोपणी की अुज्ञप्ति जारी करना एवं उसका नवीनीकरण.	जिले का सहायक/ उप संचालक, उद्यान.	15 कार्य दिवस	संबंधित संभाग का संयुक्त संचालक, उद्यान.	15 कार्य दिवस	संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश.
46.2	बीज/अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति जारी करना एवं उसका नवीनीकरण करना.	जिले का सहायक/ उप संचालक, उद्यान.	15 कार्य दिवस	संबंधित संभाग का संयुक्त संचालक, उद्यान.	15 कार्य दिवस	संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2018

क्र. एफ 2-07-2018-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी 15.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत परिवहन विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित की गई समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.18	केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1989 के नियम 59 के अन्तर्गत पता परिवर्तन करना.	क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी.	07 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.19	केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1989 के नियम 60 के अन्तर्गत भाडा करार दर्ज करना.	क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी.	07 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
15.20	केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1989 के नियम 61 (1) के अन्तर्गत भाडा करार दर्ज करना.	क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी.	07 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.